MP Industrial Development Corporation Limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्र. एम.पी.आईडीसी/एसडब्ल्यूएस/2019/ 1908 भोपाल, दिनांक 04.06.2019
प्रति,

1. **प्रमुख सचिव,**
   मध्य प्रदेश शासन
   श्रम विभाग / पर्यावरण विभाग
2. **संचालक,**
   वाष्प यंत्र, भोपाल ।

विषय :- भारत सरकार द्वारा प्रेषित बिजनेस रीफार्म एक्शन प्लान 2019 मे की गई अनुसंशा अंतर्गत कार्यवाही करने विषयक |

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रेषित बिजनेस रिफ़ार्म एक्शन प्लान 2019 की अनुशंसा क्रमांक 65 एवं 66 अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानो यथा औध्योगिक, व्यावसायिक, सेवा इकाइयों के वैधानिक निरीक्षण की व्यवस्था को सरलीकरण करने के उद्देश्य से केंद्रीकृत निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System)विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

2. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2019 में श्रम विभाग को (Central Inspection System) विकसित करने तथा इस हेतु समन्वय के लिए निर्देशित किया गया |

3. उक्त प्रणाली के अन्तर्गत्त श्रम विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बायलर संचालनालय, इत्यादि से सम्बंधित नियम एवं अधिनियम अंतर्गत निर्धारित वैधानिक निरीक्षण हेतु सरलीकरण व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी। प्रस्ताव अंतर्गत निरीक्षण प्रणाली का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाना है :-

- जोखिम आधारित वर्गीकरण (कम्प्यूटर जनित) व्यवसाय के अंतर्गत जोखिम (उच्च, मध्य , निम्न) के स्तर के आधार पर ईकाईयो के निरीक्षण हेतु इस प्रणाली द्वारा कम्प्यूटर जनित सूची जारी की जाती है |
- निरीक्षकों कीअनुसूची- जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर जारी की है , जिससे केवल उच्च जोखिमधारी इकाईयो का ही विभागीय निरीक्षण किया जा सके । यह व्यवस्था इस प्रकार की गई है की एक निरीक्षक एक ही इकाई का लगातार दो बार निरीक्षण न कर सके।
- मध्यम तथा अल्प जोखिमधारी इकाईयो के लिए तृतीय पक्ष से निरीक्षण तथा स्वप्रमाणन की व्यवस्था की है।
- अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन को 48 घंटो के अंदर वेब साइट पर अपलोड करने तथा संबन्धित/ प्रतिष्ठानो मे प्रस्तुत करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है |
- प्रतिष्ठानो को विगत 3 वर्षो क निरीक्षण प्रतिवेदन को आनलाइन देखने तथा डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है |
- निरीक्षण के पूर्व निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र, निरीक्षण किए जाने वाले प्रतिष्ठानो को भेजने की व्यवस्था की गयी है ।
- शिकायत के आधार पर निरीक्षण अथवा आकस्मिक औचक निरीक्षण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के उपरांत किए जाने की व्यवस्था की है |

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
"CEDMAP BHAWAN" 16-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (India)

- शिकायत के आधार पर किये जाने वाले निरीक्षणों को छोडकर निरीक्षण प्रक्रिया केवल निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार ही की जाएगी।

4. उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वित करने के पूर्व सभी संबन्धित विभागो / निरीक्षकों लॉगिन विवरण (Login Detail) उपलब्ध करने के सांथ संबन्धित विभागों के विभिन्न स्तरो पर अधिकारी / कर्मचारी को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है | उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वन्त किए जाने के उपरांत संबन्धित विभाग/कार्यालय केंद्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) का उपयोग उल्लेखित उद्देश्य हेतु कर सकेगे।

प्रस्तावित केंद्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने हेतु कृपया संबन्धितों को समुचित निर्देश प्रसारित करने हेतु निवेदन है ।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

(पंकज दुबे) 11.6.2019
मुख्य महाप्रबंधक